आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

[illegible] / अभिभाषक संघ ने
[illegible] /P.O. साहब
अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त ......हैं।
पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 27/6/17 को पेश हो।
वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 06 R.17 CPC पेश किया
(रीडर)

वकील उभय पक्ष उप. । प्रार्थना पत्र 06 R.17 सपठित धारा 151 CPC पर वकील प्रति. को आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र 06 R17 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। साक्ष्य वादी ने PW1 रूपनारायण, PW2 [illegible]भगवान PW3 नन्दाराम के शपथपत्र पेश किए। दस्तावेज पर प्रदर्श करवाये गए। वकील प्रति. नाबालिग की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी मे शपथपत्र पेश करने अवसर चाहते हैं। वकील वादी द्वारा आपत्ति पेश की। वास्ते उचित आदेश पत्रावली दिनांक 1-2-19 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वकील वादी, प्रतिवादी उपस्थित P.O. सा. [illegible] हैं। पत्रावली आदेशानुसार आदेश की पालना में दिनांक 5-[illegible]-19 को पेश हो।

वकील उभय पक्ष उप. । दावा वादीगण के हक में दावा डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश अलग से लिखाया जाकर जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

र्द अहकाम

बनाम

आज्ञा विस्तृत रूप से

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

संख्या :– 99/2009

उनवान

खटीक निवासी खटीक मण्डी, जयपुर।
खटीक निवासी खटीक मण्डी, जयपुर **(फौत)**
जयनारायण
जयनारायण
जयनारायण, समस्त जाति खटीक नि. खटीक मण्डी, जयपुर।

वादीगण

बनाम

पुत्र रामनिवास असवाल जाति खटीक नि. मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर**(फौत)**
पत्नी स्व. अशोक कुमार असवाल
पुत्र अशोक कुमार असवाल ना.बा. जरिये संरक्षक माता ललिता असवाल
पुत्र अशोक कुमार असवाल ना.बा. जरिये संरक्षक माता ललिता असवाल
रामनिवास असवाल **(फौत)** समस्त जाति खटीक नि. मनोहरपुर तह0 शाहपुरा
पुत्र स्व. जड़ाव पत्नी स्व रामनिवास
पुत्र स्व. जड़ाव पत्नी स्व रामनिवास
पुत्र स्व. जड़ाव पत्नी स्व रामनिवास
पुत्र स्व. जड़ाव पत्नी स्व रामनिवास
देवी पुत्री स्व. जड़ाव पत्नी स्व रामनिवास
नि. मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर।
जाति खटीक नि. मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर।
रिकार्ड पर लाने से मुक्त आदेश दिनांक 26.06.10)
जाति खटीक नि. मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर।
जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) कार्यालय

प्रतिवादीगण

दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 04.07.2019

उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद के निर्णयार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य संक्षेप में यह है कि खसरा नम्बर 4758 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके मौजा मनोहरपुर घीसा पुत्र बीजा रैगर के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि थी। उक्त भूमि को उसने जरिये रजिस्टर्ड किता 2 दिनांक 24.7.1980 को वादीगण को विक्रय करके कब्जा सम्भलवा दिया था, जिस रहकर काश्त एवं उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी सं. 2 के पिता सं. 3 के श्वसुर मृतक चन्दा का उक्त आराजी से कोई संबंध नही है, बल्कि उनकी आराजी खसरा नम्बर 4750/1 व 4750/3 कुल किता 2 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम है। हाल सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने मिलान क्षेत्रफल के नम्बर 8032 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर की खातेदारी मिली भगत से नितान्त गलत अंकित कर दी, जो वादीगण के कब्जे काश्त के विपरित प्रभावहीन व आराजी मुतवादिया के खातेदारी विक्रय–पत्रों के अनुसार वर्तमान आराजी खसरा नम्बर मनोहरपुर की मय दीगर आराजीयात के भू–प्रबन्ध अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13. के नाम दर्ज करने की आज्ञा दी, परन्तु तत्पश्चात दौराने कार्यवाही भू–प्रबन्ध की खातदेारी मनमाने तरीके से मृतक चन्दा के नाम अंकित कर दी गयी। उक्त का अनुचित लाभ उठाते हुए प्रतिवादी सं. 2 ने अपने पिता के विरासत का नामान्तकरण 17.4.1993 को नितान्त गलत तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत मनोहरपुर से बिना जांच करवा लिया तथा 0.09 है0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण हेतु अवाप्त होने प्राप्त कर लिया एवं शेष रक़बा 0.16 है0 भूमि का प्रतिवादी सं. 1 के नाम नुमायशी आराजी मुतनाजा का एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4.11.1996 को पंजीबद्ध करवाकर में खातेदारी का इन्द्राजात करवा लिया। जबकि उक्त विक्रय पत्र के तहत

2 की आराजी मुतनाजा के कब्जा कास्त के अनुरूप खातेदारी दर्ज करा ... सार दे टालनटोल करते रहे और अब अर्सा एक सप्ताह पूर्व खातेदारी दुरूस्त ... तथा प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगन को ऐलानियां धमकी दी कि मेरा भाई ... है। मैंने खातेदारी तो अपने नाम राजस्व रिकार्ड में करवाली है अब जबरन कब्जा ... भी करूंगा तथा तुम्हे जबरन बेदखल करके मनमाने तरीके से निर्माण कराऊंगा। ... आवश्यक हुआ। यही विनाये दावा है। दावा अन्दर मियाद है तथा निर्धारित ... है जो मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, जिसे सुनने व निर्णय करने का ... अधिकार प्राप्त है। अतः दावा स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावें व अन्य आदेश जो ... प्रतिवादीगण दिलाये जाने उचित प्रतीत हो वे भी दिलाये जावे तथा हर्जा–खर्चा ... वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जाने के आदेश प्रदान करें।

... रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज ... प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी। ... तामील के भी न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण 12.5.1999 ... पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उनका जबाब दावा बन्द किया गया तथा ... नियत की गयी।

... की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री रमेशचन्द शर्मा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 ... उनके विरूद्ध अमल में लाई गई एक पक्षीय कार्यवाही मन्सुख की ... दिनांक 19.9.2001 को स्वीकार कर पत्रावली वास्ते जबाब दावा नियत की गई। ... न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक ... न्यायालय हाजा का आक्षेपित आदेश दिनांक 19.9.2001 आपस्त किया ... वास्ते इकतरफा साक्ष्य वादीगण नियत की गई।

... होने पर वादीगण के प्रा0पत्र पर मृतक प्रतिवादी सं. 2 के कायम मुकामान को ... दी गई तथा प्रतिवादी सं. 1 के फौत होने पर उसने वारिसान एव कायम ... जाकर उनके सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तल्बी जारी करवाई गई। ... अशोक कुमार के नाबालिग वारिसान अभिषेक व आदित्य की ओर से पैरवी करने के ... किया गया तथा शेष वारिसान एवं कायम मुकामान के बावजूद सुचना एवं सम्मल ... नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

... मौखिक साक्ष्य में अपने स्वयं के एवं गवाहान के बयानों के शपथ–पत्र पेश ... की ओर से अपनी प्रलेखिय साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 2052 प्रदर्श–1, ... सम्वत् 2031 से 2034 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 प्रदर्श–3, ... प्रदर्श–4, फोटोप्रति मूल विक्रय–पत्र दिनांक 24.7.1980 प्रदर्श–5A व मूल प्रदर्श–6, ... नकल फैसला ए0एस0ओ0 दिनांक 13.4.1981 प्रदर्श–7, नकल मिसल जमाबन्दी सम्वत् ... ग्राम मनोहरपुर प्रदर्श–8, सत्यप्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 4.11.1996 प्रदर्श–9, नकल ... ग्राम मनोहरपुर प्रदर्श–10, नकल खसरा पत्रक प्रदर्श–11 व फोटो प्रति पत्र भूमि ... वृत्त–2 जयपुर दिनांक 13.10.1997 पेश की।

... अशोक कुमार के नाबालिग वारिसान के कोर्टवली की ओर से उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत ... प्रदान करने के पश्चात् भी कोई रिकार्ड शहादत पेश नहीं की गई।

... की बहस सुनी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को ... प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत को इंगित करने हुए तर्क प्रस्तुत किया कि हस्तगत वाद में ... सम्परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन इस संबंध में क्षेत्राधिकार बाबत न्यायालय द्वारा ... दिनांक 2.8.2001 को वादी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। वादीगण के द्वारा आराजी ... नम्बर 4758 वाके मौजा मनोहरपुर दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 22.7.1980 व ... खातेदार काश्तकार को उचित प्रतिफल अदा करके विक्रय की जाकर मौके पर ... कब्जा प्राप्त कर भूमि क्रय करने के समय से ही बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर ... उपभोग करते चल आ रहे है।

2.

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

आराजीयात से बरामद हुए हाल आराजी खसरा नम्बर 8032/0.16 है के संबंध में भू-प्रबन्ध अधिकारी अपने निर्णय दिनांक 13.4.1981 में वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित किये है, किन्तु उक्त आराजीयात की खातेदारी में वादीगण के बजाय चन्दा का नाम गलत रूप से बिना किसी विधिक अधिकार के दर्ज कर दिया गया और नामान्तकरण सं. 870 विरासत दर्ज कर चन्द्रा के पुत्र मालीराम के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी हस्तान्तरण करने के लिए दिनांक 17.4.1993 का स्वीकार कर दिया तथा उक्त प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा उक्त आराजीयात का एक नुमायशी विक्रय पत्र दिनांक 4.11.1993 को बहक प्रतिवादी सं. 1 पंजीबद्ध करवा दिया, जिसका नामान्तकरण दिनांक 14.11.1996 को स्वीकार कर खातेदारी गलत रूप से बिना जांच पड़ताल के प्रतिवादी 1 के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया, जो वादीगण के हक-हकूको एवं विधिक अधिकारों के प्रति शून्य एवं बेअसर है। आराजी मुतनाजा का मिलान क्षेत्रफल अधूरा प्रतीत होता है तथा आधार जमाबन्दी भी उपलब्ध नहीं है। नामान्तकरण गलत दर्ज होने से भूमि का अवैद्य बेचान हुआ है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 मृतक अशोक कुमार के नाबालिग वारिसान एवं कायम मुकामान के कोर्टवली ने बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि वादीगण को नामान्तकरण की अपील की जानी चाहिए थी, घोषणा का वाद नही, इसलिए वादीगण का दावा पोषणीय नही है। आराजी विवादग्रस्त की किस्म भी रूपान्तरित हो चुकी है, इसलिए वादीगण का दावा क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण भी चलने योग्य नही है। अतः दावा अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर गोर किया गया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत का अवलोकन एवं परीक्षण कर मनन किया।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रश्नगत मामलें में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.8.2012 को प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रा0पत्र आदेश 14 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 स्वीकार आदेश दिये गये है कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व शपथ-पत्रों के आधार पर यदि एक पक्षीय में भी कोई विवाद्याक कायम होता है तो तनकी कायम की जावे। प्रतिवादीगण की ओर से न तो हस्तगत वाद में जबाब दावा पेश हुआ एव ना ही कोई साक्ष्य व शपथ पत्र आदि ही प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण के द्वारा यह भी सुस्पष्ट नहीं किया गया कि वे किस बाबत तनकी कायम करवाना चाहते है। लिगल बिन्दु पर कोर्ट द्वारा क्षेत्राधिकार बाबत तनकी पूर्व में ही कायम कर वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। हस्तगत प्रकरण में हमारे सम्मुख रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की वैद्यता का निस्तारण करने अथवा अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि के स्वामित्व की अवधारणा करने का प्रश्न विचारणीय नहीं है, अपितु राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राजात की दुरुस्ती एवं खातेदारी अधिकारों का विनिश्चय करने का प्रश्न विचारणीय है जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है। हस्तगत वाद उदघोषणा का है और उदघोषणा का कोई भी वाद तब तक डिक्री नहीं किया जा सकता जब तक वादी स्वयं अपना दावा सिद्ध नहीं करे। वाद में वादीगण को अपने पैरों पर खड़े होकर सिद्ध करना होगा कि पूर्व में उनके या उनके पिता के नाम से इन्द्राजात थे या भूमि उनके पूर्वजों के नाम थी, जो कि रिकार्ड में अंकन होने से रह गई। इस प्रकार वादीगण पर अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी रिकार्ड व शाहदत से सिद्ध करवाने का दायित्व है। ऐसी परिस्थिति में एक पक्षीय प्रकरण में वाद के गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त तनकीयात कायम नहीं की गई।

प्रतिवादी सं. 1 के नाबालिग वारिसान एवं कायम मुकामान के कोर्टवली का यह वर्जन था कि वादीगण को द्वारा घोषणा के वाद के बजाये नामान्तकरण की अपील की जानी चाहिए थी, इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है। यह सही है कि सरल एवं सुलभ उपचार मौजूद रहते हुए वादीगण को उसी के तहत चाराजोही कर अपना अनुतोष प्राप्त करना चाहिए, लेकिन प्रश्नगत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु खातेदारी अधिकारों की अवधारणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है और नामान्तकरण की कार्यवाही केवल सरसरी जांच (फिसकल इन्क्वायरी) के आधार पर रिकार्ड परिवर्तन करने तक सीमित है। नामान्तकरण मात्र से किसी व्यक्ति को कोई स्वामित्व या अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार वादीगण नियमित वाद के माध्यम से ही अपने खातेदारी अधिकारों का विनिश्चय एवं रिकार्ड दुरूस्त करवाने के मुश्तहक हैं।

उभयपक्षों के अभिवचनों से स्पष्ट विदित होता है कि हर दोनों पार्टीज वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अभिलिखित खातेदारों को उचित प्रतिफल अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से आराजी मुतनाजा क्रय करने तथा कब्जा प्राप्त कर अपना अपना बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा होना बताकर अपनी अपनी खातेदारी क्लेम है। इस प्रकार हमारे सम्मुख हस्तगत मामले में खातेदारी अधिकारों की अवधारणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का प्रश्न मूल रूप से विचारणीय है।

पत्रावली पर प्रस्तुत प्रलेखिय साक्ष्य नकल राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2031–2034 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 प्रदर्श–3 की प्रष्टियों से आराजी साबिक खसरा नम्बर 4758/1 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके मौजा मनोहरपुर की खातेदारी बींजा पुत्र सेढू कौम रैगर सा0 देह खातेदार तथा इसके फौत होने पर विरासत के नामान्तकरण सं. 1736 के माध्यम से घीसा पुत्र बींजा रैगर के नाम पर राजस्व रिकार्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त अभिलिखित खातेदार काश्तकार घीसा पुत्र बींजा जाति रैगर से जरिये दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों दिनांक 14.8.1980 प्रदर्श–5A एवं प्रदर्श–6A से वादीगण के द्वारा उचित प्रतिफल अदा कर क्रय करने तथा मौके पर कब्जा प्राप्त कर काबिज होना सिद्ध होता है। किन्तु वादीगण के द्वारा क्रय की गई उक्त आराजीयात की खातेदारी विक्रय पत्रों के आधार पर क्रेता वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने पर उनकी ओर से सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष उजरदारी प्रस्तुत की गई, जिस पर मिसल नम्बर 3/81 में पारित निर्णय दिनांक 13.4.1981 प्रदर्श–7 में आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 4758 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके मौजा मनोहरपुर से बरामद हुए हाला आराजी खसरा नम्बरान 8030, 8031 व 8032 की खातेदारी मे से विक्रता घीसा वल्द बींजा कौम रैगर का नाम खारिज कर पंजीबद्ध विक्रय पत्रों के आधार पर क्रेता वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान करना साबित है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 से आराजी साबिक खसरा नम्बर 4758 नं. से हाल खसरा नम्बर 8032/0.16 है वाके मौजा मनोहरपुर बरामद होना प्रमाणित होता है। किन्तु उक्त आराजीयात की खातेदारी क्रेता वादीगण के नाम दर्ज करने अथवा साबिक खसरा रिकार्ड अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में विक्रेता के नाम बदस्तूर दर्ज करने के बजाये प्रतिवादी सं. 2 के पिता चन्द्रा पुत्र सुखा कौम खटीक सा0 देह खातेदार के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 प्रदर्श–1 में हाल खसरा नम्बर 8032/0.25 की खातेदारी अंकित है। उक्त इन्द्राजात हाल राजस्व अभिलेख में किस आधार पर दर्ज किए गये, के संबंध में कोई वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं है। क्रेता वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी सं. 2 के पिता चन्द्रा के बिना किसी सक्षम अधिकारी के विधिक आदेश या दस्तावेजात के आराजी मुतवादिया के खातेदारी अधिकार किस प्रकार उत्पन्न हुए, के संबंध में भी पत्रावली पर कोई दस्तावेजी रिकार्ड व शाहदत उपलब्ध नहीं है।

अतः यह सुविचारित मत है कि राजस्व अभिलेख के अंकन स्वतः उत्पन्न स्थिति नहीं होती है ओर ऐसे अंकनों के आधार में कोई न कोई आदेश होता है लेकिन हस्तगत मामले में प्रतिवादी सं. 2 के पिता चन्द्रा के हक में आराजी मुतनाजा पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न होने के संबंध में कोई आदेश या दस्तावेजी शाहदत रिकार्ड पर नहीं है । जबकि दूसरी ओर मूल अभिलिखित खातेदार से वादीगण के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों प्रदर्श– 5 व 6 के माध्यम से उचित प्रतिफल अदा कर आराजी मुतनाजा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर काबिज काश्त होने के अपने अभिकथनों को दस्तावेजी रिकार्ड शाहदत एवं मौखिक साक्ष्य में वादीगण अपने स्वयं के गवाहान के प्रस्तुत बयानों के शपथ–पत्रों से साबित करवाया है, जिससे वैधिक रूप से आराजी मुतनाजा पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये है। तदानुसार सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के भी मिसल नम्बर 3/81 में पारित आदेश दिनांक 13.4.1981 प्रदर्श–7 में आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 4758 से बरामद हुए आराजी हाल खसरा नम्बर 8030, 8031 व 8032 की खातेदारी राजस्व अभिलेख में क्रेता वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदत्त किये हैं। इसके बावजूद बिना किसी आदेश के साबिक राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों एवं सक्षम अधिकारी के आदेश एवं रजिस्टर्ड विक्रय–पत्रों के विपरित क्रेता वादीगण के बजाये प्रतिवादी सं. 2 के पिता चन्द्रा के नाम अनाधिकृत रूप से मनमाने ढंग से हाल राजस्व अभिलेख में गलत रूप से खातेदारी दर्ज की जाना प्रकट होती है जो विधिसम्मत नहीं होने से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वादीगण के नाम आराजी मुतनाजा की खातेदारी दर्ज किये जाने योग्य है।

दूसरी ओर प्रकरण के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तोवजात से आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 8032/0.16 है0 वाके मौजा मनोहरपुर प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अभिलिखित खातेदार प्रतिवादी सं. 2 से उचित प्रतिफल अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र क्रय करने तथा नामान्तकरण सं. 1307 दिनांक 14.11.1996 से हाल आ0ख0न0 8032/2 रकबा 0.16 है0 वाके मौजा मनोहरपुर की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना तथा उसके नाम भूमि की किस्म परिवर्तन होने के आदेश होना स्पष्ट जाहिर होता है। अब स्वतः ही यह प्रश्न उठता है कि उक्त इन्द्राजात का वादीगण के हक–हकूकों पर क्या असर है? पत्रावली के तथ्यों एवं रिकार्ड दस्तावेजात के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 2 के फुटस्टेप पर बहैसियत क्रेता आराजी मुतनाजा का

...सं. 870 दिनांक ...17.4.1993 के द्वारा दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रमाण है, किन्तु प्रतिवादी सं. 2 ... चन्द्रा पुत्र सूखा के नाम उक्त आराजीयात की खातेदारी किस आधार पर उत्पन्न हुए, इस संबंध में ... पर कोई आदेश या रिकार्ड दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। आराजी हाल ख0न0 8032/0.15 है0 ... ख0न0 4758 मि0 से बरामद होना प्रमाणित होता है, जिसकी साबिक राजस्व रिकार्ड में खातेदारी ... सं. 2 के पिता चन्द्रा के नाम राजस्व रिकार्ड होना सिद्ध है, जिसके फुटस्टेप पर विरासत के ... के माध्यम से उसके पुत्र घीसा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। प्रतिवादी सं. 2 व उसके ... चन्द्रा का उक्त आराजीयात से कोई लेना–देना व ताल्लुक वास्ता नहीं होना प्रतीत होता है। प्रतिवादी ... के पिता चन्द्रा के नाम साबिक राजस्व अभिलेख में आराजी साबिक ख0न0 4750/1 व 4750/3 ... 2 रकबा 11 बिस्वा वाके मौजा मनोहरपुर की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना जाहिर होती ... मिलान क्षेत्रफल पत्रावली पर उपलब्ध नही है। फिर यदि यह कयास लगाया जावे कि सहवन से ... आराजीयात का रकबा साबिक ख0न0 4758 मिन से बरामद हुए हाल आ0ख0न0 8032/0.25 है0 में ... होकर प्रतिवादी सं. 2 के पिता चन्द्रा के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज हो ... उक्त आराजीयात साबिक खसरा नम्बरान के कुल रकबे में से 5 बिस्वा व आराजी हाल ख0न0 ...0.25 है0 में से 0.09 है0 रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण हेतु अवाप्त हुई भूमि के भूमि ... के मुआवजा की सम्पूर्ण राशि का भुगतान प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा प्राप्त किया जाना भूमि अवाप्ति ... सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त–2 जयपुर के पत्रांक 289 दिनांक 13.10.1999 से यह स्पष्ट साबित ...

... जाहिर होता है कि प्रतिवादी सं. 2 के पिता चन्द्रा के नाम साबिक रिकार्ड में दर्ज उसकी खातेदारी ... रकबा 11 बिस्वा के मुकाबले अवाप्त हुए सम्पूर्ण रकबे, जिसका राजस्व अभिलेख में अमल दरामद ... चुका है, के भूमि अवाप्ति के मुआवजा की पूर्ण राशि प्राप्त करने के पश्चात उनकी खातेदारी की कोई ... नही रही, इसके बावजूद भी प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा विधिक रूप से अपने खातेदारी विहीन ... मुतनाजा का राजस्व अभिलेख में गलत रूप से अपने नाम दर्ज खातेदारी के आधार पर प्रतिवादी ... के नाम बेचान का विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया, जो शुरू से ही वादीगण के हक–हकूकों व ... अधिकारों के प्रति शून्य व बेअसर (नल एण्ड वाईड) होने से प्रतिवादी सं. 2 के फुटस्टेप पर ... सं. 1 के कोई खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात के विश्लेषण के आधार पर ... का वाद बखूबी साबित होता है , जो स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर आराजी मुतनाजा हाल ख0न0 8032/2 रकबा 0.16 ... ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा के राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करके प्रतिवादीगण के नाम ... में से कलमजन करने उनके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ... प्रतिवादीगण को हमेशा – हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द किया जाता है ... वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मुतनाजा के उपयोग व उपभोग में किसी भी ... की मजाहमत पैदा नहीं करे, अपितु शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवें। तदानुसार डिक्री ... राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा के नाम ... के निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

(... 23 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :- 99/2009

उनवान

... पुत्र घीसाराम खटीक निवासी खटीक मण्डी, जयपुर।
... पुत्र घीसाराम खटीक निवासी खटीक मण्डी, जयपुर **(फौत)**
... अनोखा पत्नी स्व जयनारायण
... अशोक पुत्र स्व जयनारायण
... पुत्री स्व जयनारायण, समस्त जाति खटीक नि. खटीक मण्डी, जयपुर।

बनाम वादीगण

... कुमार असवाल पुत्र रामनिवास असवाल जाति खटीक नि. मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर **(फौत)**
... ललिता असवाल पत्नी स्व. अशोक कुमार असवाल
... असवाल पुत्र अशोक कुमार असवाल ना.बा. जरिये संरक्षक माता ललिता असवाल
... असवाल पुत्र अशोक कुमार असवाल ना.बा. जरिये संरक्षक माता ललिता असवाल
... पत्नी स्व. रामनिवास असवाल **(फौत)** समस्त जाति खटीक नि. मनोहरपुर तह0 शाहपुरा
1/4/1. रामकरण पुत्र स्व. जड़ाव पत्नी स्व रामनिवास
1/4/2. लालचन्द पुत्र स्व. जड़ाव पत्नी स्व रामनिवास
1/4/3. पूरणमल पुत्र स्व. जड़ाव पत्नी स्व रामनिवास
1/4/4. प्रवीण पुत्र स्व. जड़ाव पत्नी स्व रामनिवास
1/4/5. सुरजी देवी पुत्री स्व. जड़ाव पत्नी स्व रामनिवास
समस्त जाति खटीक नि. मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर।
... पुत्र चन्दा जाति खटीक नि. मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर।
... वारिसान को रिकार्ड पर लाने से मुक्त आदेश दिनांक 26.06.10)
... पत्नी ... जाति खटीक नि. मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर।
... सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 04.07.2019

... वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर आराजी मुतनाजा हाल ख0न0 8032/0.16 है0 स्थित ग्राम ... तहसील शाहपुरा के राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करके प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में से ... उनके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण ... – हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की ... व कब्जे काश्त की आराजी मुतनाजा के उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत ... करें, अपितु शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवें। तदानुसार डिक्री मुर्तिब होकर राजस्व ... में अमल दरामद करवाने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा के नाम डिक्री के निष्पादन ... सुनिश्चित करने के लिए तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

...	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
... के लिए स्टाम्प ... के लिए स्टाम्प ... के लिए स्टाम्प ... प्लीडर की फीस ... के लिए निर्वाह – व्यय ... की फीस ... की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	